

05.04.2022

कोलायत

पत्रावली आज वादिनी के विद्वा उपायना करने पर पेश हुई। वादिनी के वकील उपास्थित। वादिनी ने जारीये अनिमाषक इस आशय का उर्धना पत्र प्रस्तुत किया कि पंच पंचायती से वादियां अब उपरोक्त वाद में आगामी कोर्ट कार्यवाही नहीं करना चाहती हैं। उर्धियां लोक अदालत की शपना से वाद में आगामी कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहकर विद्वा करना चाहती हैं। आदि वादिनी वादको आगे चलाना नहीं चाहती हैं तथा जारीये विद्वा खारिज करवाना चाहती हैं।

अतः वाद-वादिनी जारीये विद्वा खारिज किया जाता है। वाद-पत्रावली फंसल शुभार होकर टाख जाव्वा दाखिलत दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-04-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर